मुख्यमंत्री ने नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का लोकार्पण किया

उन्होंने आशा जताई कि इससे पर्यटन को नई शुरूआत मिलेगी व बाघ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर के नाहरगढ़ में फीता काटकर टाइगर सफारी का शुभारम्भ किया। प्रदेशवासियों को मिली इस सौगात से अब वन्य जीव प्रेमी नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने

- **नाहरगढ़ जैविक उद्यान में दो बाघ शावक हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मादा बाघ शावक का नाम 'स्कंदी' तथा नर शावक का 'भीम रखा है**

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में दो बाघ शावकों का नामकरण भी किया। उन्होंने मादा बाघ शावक का नाम ''स्कंदी'' तथा नर बाघ शावक का नाम ''भीम'' रखा।

शर्मा ने प्रदेशवासियों को 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह की बधाई देते हुए कहा कि वन्य जीवों की रक्षा तथा प्रकृति को संजोए रखना हम सभी का कत्तर्व्य है। उन्होंने कहा, वन्यजीव सप्ताह में विद्यार्थियों को बायोलॉजिकल पार्क में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग और जेडीए के संयुक्त प्रयासों से सोमवार को शुरू हो रही टाइगर सफारी से प्रदेश में पर्यटन को एक नई शुरूआत मिली है और इससे बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान, वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन पर विशेष जोर दे रहा है। प्रदेश में तीन नेशनल पार्क, 26 अभयारण्य, 36 कन्ज़र्वेशन रिज़र्व तथा 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के निरंतर किए जा रहे प्रयासों से उनकी आबादी बढ़ रही है। राजस्थान में लगभग 130 बाघ हैं। जे.डी.ए. ने जयपुर जिले में दो नए पार्क विकसित किए हैं, जिनमें जीरोता में नगर वन एवं नेवटा के पास बायोडायवर्सिटी पार्क शामिल हैं। इससे आसपास की 5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रोशनी एवं वन्यजीवों के लिए पानी तथा उद्यान के समुचित रख-रखाव के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने परिसर में ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने इस दौरान विभिन्न स्कूलों से जैविक उद्यान में भ्रमण हेतु आए बच्चों से मुलाकात भी की। उल्लेखनीय है कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 5 हजार 240 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान 720 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। इसमें पहले से ही लॉयन सफारी संचालित है। समारोह में नगरीय विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, विधायक प्रशांत शर्मा, जयपुर नगर निगम (हेरिटेज) महापौर कुसुम यादव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी सहित वन्य जीव प्रेमी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी तथा शासन सचिव पर्यटन रवि जैन की उपस्थिति में राजस्थान पर्यटन विकास निगम और हुडको की ओर से सोमवार को सचिवालय में आरटीडीसी की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा और हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर के मध्य एमओयू का आदान प्रदान किया गया।

जयपुर में जौहरी बाजार की पहचान सूर्यमुखी लाइट के खंभों से लाईटें बंद कर दी गई हैं। वहीं दीपावली नजदीक आते ही नए खंभों पर लाइटें लगाकर जौहरी बाजार को जगमग किया जा रहा है।

हुडको से आर.टी.डी.सी. का करार

जयपुर । उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी तथा शासन सचिव पर्यटन रवि जैन की उपस्थिति में राजस्थान पर्यटन विकास निगम और हुडको की ओर से सोमवार को सचिवालय में आरटीडीसी की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा और हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर के मध्य 415 करोड़ रुपये के ऋण हेतु एमओयू का आदान प्रदान किया गया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हुडको से 9.12: की ब्याज दर पर 415 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन लोन का एमओयू आदान प्रदान किया गया है। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं पर अभी बहुत काम किया जाना है। उन्होंने कहा कि हुडको के साथ हुए आज के एमओयू से पर्यटन विकास के लिए वित्तीय संबल मिलेगा। राजस्थान में पर्यटन विकास को और गति मिलेगी।

दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन विकसित भारत बनाने का है। इसी लक्ष्य के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकसित राजस्थान बनाने का विजन है। जिसमें पर्यटन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी डबल इंजन की सरकार है केन्द्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार प्रदेश का विकास करेगी,पर्यटन का विकास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के तीर्थ स्थलों, स्मारकों,नये डेस्टीनेशन्स को और अच्छा बनाने के लिए कार्य किये जाएंगे। राजस्थान आने वाले पर्यटकों का अनुभव शानदार हो इसके लिए हमारा प्रयास होगा।

अनियमितताओं पर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करें, लीपापोती नहीं : गौतम कुमार दक

जयपुर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के प्रकरणों से आमजन का सहकारिता में विश्वास कम होता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की ऐसे प्रकरण सामने आते ही दोषियों के प्रति बिना सहानुभूति रखते हुए अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

सहकारिता मंत्री सोमवार को अपेक्स बैंक सभागार में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम – 2001 की धारा 55, 57 (1) और 57 (2) के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। इस मैराथन बैठक में लम्बे समय से पेंडिंग चल रहे करीब 300 प्रकरणों की खण्डवार और प्रकरणवार विस्तार से समीक्षा की गई। सहकारिता मंत्री ने प्रकरणों की जांच में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लम्बित जांच प्रकरणों में जांच अधिकारियों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की। श्री दक ने कहा कि अनियमितताओं के प्रकरणों में होने वाली कार्यवाही नजीर बननी चाहिए। इसके लिए जांच अधिकारी ऐसे प्रकरणों में लीपापोती करने के बजाय पूरी ईमानदारी से अपना काम करें।

दक ने निर्देश दिए कि सहकारी समितियों की आम सभा में राजकीय प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इससे फर्जीवाड़े के प्रकरणों पर काफी हद तक लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि यदि समिति में फर्जीवाड़ा साबित होता है, तो आरोपियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए। सहकारिता मंत्री ने देरी वाले प्रकरणों में जांच अधिकारी बदलने एवं जांच की समय सीमा निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी समिति में अनियमितता पाए जाने पर सम्पत्ति का अटैचमेंट बिफोर अवार्ड तुरन्त किया जाए, जिससे सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सके।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद तत्काल जांच परिणाम जारी होना चाहिए। साथ ही, जांच परिणाम आने के बाद वरिष्ठ अधिकारी तथ्यों की अच्छी तरह जांच-परख कर लें। उन्होंने कहा कि अनियमितता करने वाले पदाधिकारियों द्वारा केवल राशि जमा करवा देने से ही अपराध समाप्त नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। दक ने कहा कि यदि कोई अधिकारी दोषी व्यक्तियों को बचाने का प्रयास करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही होगी।

शासन सचिव सहकारिता विभाग एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने निर्देश दिए कि अनियमिताओं के मामलों में ढ़िलाई नहीं बरती जाए। बार-बार केवल नोटिस देकर प्रकरण को लम्बित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी भी यह ध्यान रखें कि पर्यवेक्षणीय लापरवाही नहीं हो। जांच अगर पूरी हो चुकी है तो रिपोर्ट तत्काल सबमिट की जाए। पुराने प्रकरणों पर खास फोकस रखते हुए उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए।

राजपाल ने कहा कि अधिकारी अपने कामकाज के तरीके में बदलाव लाकर प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। यदि कोई अधिकारी बिना किसी वजह के जांच में विलंब करते हैं, तो उन्हें भी नोटिस दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी प्रकरणों की गंभीरता को समझते हुए समय सीमा का विशेष तौर पर ध्यान रखें।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) राजीव लोचन ने कहा कि जिन समितियों में मिनी बैंक हैं, उनमें जमाओं का सत्यापन करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जांच प्रकरणों को गंभीरता से लेना चाहिए।

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने सोमवार को अपेक्स बैंक सभागार में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल मौजूद थीं।

- **सहकारिता मंत्री ने की लंबित 300 प्रकरणों की समीक्षा**
- **'दोषियों को बचाने का प्रयास करने वाले अधिकारियों पर भी होगी सख्त कार्रवाई'**

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

'कांग्रेस सोशल मीडिया में बेहतर काम करने वालों को मोबाइल मिलेगा'

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफार्म की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिलाध्यक्षों की बैठक को सम्बोधित करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की जनता के समक्ष केन्द्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करने में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अंतिम स्थान तक बैठे हुये व्यक्ति तक सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ लेते हुये केन्द्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार के जनविरोधी कार्यों को पहुँचाने के साथ ही देश एवं प्रदेश के विकास के लिये कांग्रेस के वीजन से प्रदेशवासियों को अवगत करवाना होगा।

डोटासरा ने घोषणा की कि सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों से प्रतिवर्ष विभाग के सबसे बेहतर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा सम्मानित किया जायेगा तथा इन दस सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को पुरूस्कार स्वरूप मोबाईल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार जिस तरह से जनता की अनदेखी कर रही है, यह प्रदेशवासियों से छुपा हुआ नहीं है तथा आगामी सात विधानसभा उप चुनावों में भाजपा की सातों सीटों पर हार तय है। उन्होंने कहा कि सातों सीटों पर विधानसभा उप चुनाव में सोशल मीडिया विभाग के सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सात पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सम्मान स्वरूप एक-एक मोबाईल दिया जायेगा।

अर्जुनराम मेघवाल ने जयपुर फुट की निर्माण विधि देखी

जयपुर। केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) के मालवीया नगर स्थित केन्द्र में विश्व प्रसिद्व जयपुर फुट की निर्माण विधि देखी।

मेघवाल का बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता तथा बी. एम.वी.एस.एस. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्व आई.ए.एस. एस.एस. बिस्सा ने स्वागत किया। डी.आर. मेहता ने केन्द्रीय मंत्री मेघवाल को जयपुर फुट की निर्माण विधि से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जयपुर फुट अब तक बीस लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित कर चुका हैं और विश्व भर के देशों में अभी तक 45 हजार से अधिक विदेशी जयपुर फुट के सहारे चलते हैं। डी.आर. मेहता ने जानकारी दी कि अभी जयपुर फुट के शिविर तंजानिया और मंगोलिया में चल रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिस्सा ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सौजन्य से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति विदेशों में शिविरों का आयोजन कर दिव्यांगों को चलने फिरने योग्य बनाती हैं। विधि मंत्री मेघवाल ने बताया कि उनकी बहुत दिनों से जयपुर फुट की निर्माण विधि देखने की इच्छा थी। उन्होंने कहा कि जयपुर फुट आज विश्वभर में अपनी गुणवत्ता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि जयपुर फुट विकलांगों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

'मैंने सोशल मीडिया पर चार शब्द क्या लिख दिए, भाजपा में हड़कंप मच गया'

जयपुर, (का.प्र.)। ट्वीट करके राजस्थान में सियासी गर्मी बढ़ाने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार को जयपुर में कहा कि ''मैंने सोशल मीडिया पर चार शब्द क्या लिख दिए, भाजपा में हड़कंप मच गया और स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। जब आरोप ही नहीं लगा तो स्पष्टीकरण क्यों दिया जा रहा है।

पीसीसी में सोशल मीडिया कार्यशाला के बाद मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह कौन सा उड़ता तीर है, जो भाजपा पकड़ रही है। मुझे पता नहीं। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया तो क्लीन चिट किसे दी जा रही है? क्या यह चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है। मैंने बिना किसी का नाम लिए चार शब्द लिख दिए। भाजपा में उन चार शब्दों से हड़कंप मच जाता है। क्यों मच जाता है? मुझे तो इसका अंदाजा नहीं है। इसका मतलब है कि वह खुद कुछ कंकाल ऐसे लेकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आरोप क्या लगाया है, मैंने केवल चार-पांच शब्द लिखे हैं। इधर से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। जब आरोप ही नहीं लगा तो स्पष्टीकरण क्यों दिया जा रहा है। मैंने कहां कहा कि ''बिलो द बेल्ट।''

- **जयपुर में बोली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, ''जब आरोप ही नहीं लगा तो स्पष्टीकरण क्यों दिया जा रहा है''**

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैं जयपुर या दिल्ली शहर लिख दूं तो कोई वार किया क्या? मैंने चार शब्द लिखे तो भाजपा को क्यों लगता है कि उनके साथ ऐसा हुआ। मेरे मन में आया रशिया-यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। दिल्ली में रहती हूं।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट नम्बर एफ-34 कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज स्थित राघव मार्ग, वाया रामपथ, श्याम नगर जयपुर के संयुक्त मालिक राजेन्द्र कुमार भरतीया पुत्र मुरारीलाल, दीपक भरतीया एवं रवि भरतीया पुत्रान स्व. निर्मल कुमार भरतीया हैं। अविभाजित प्लाट है। संयुक्त रूप से तीनो वास्तविक कब्जा है। किसी भी एक को या दो को अविभाजित भाग विक्रय करने का हक नही है। यदि बेचता है, तो पार्टीशन एक्ट 1893 की धारा 4 एवं हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 22 के अनुसार हकशफा का अधिकार है।
जयपुर (फैजान हुसैन) एडवोकेट
दिनांक 07-10-2024 मो.नं:-8824515124

आम सूचना
प्लाट नम्बर 674, रानी सती नगर, अजमेर रोड, जयपुर मेरे अभिभाष्य श्री रमन गुप्ता 9785411117 व विष्णु सिंह राजपूत मो. 8955522299, द्वारा खरीदा जा रहा है किसी को आपत्ति हो तो तीन दिवस के अन्दर हमें सूचित करें।
जयपुर (सी.सी. रत्नु) एडवोकेट
दिनांक-7.10.2024 मो. 9828110288

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री नवरतन लाल कुम्हार पुत्र श्री मूलचन्द कुम्हार, निवासी-कुम्हारों का मोहल्ला, बस स्टेण्ड, झाग जिला जयपुर हाल निवासी-कृष्णा कुंज, सोलिटेयर पार्क, बगरू, जिला जयपुर ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से अपने पुत्र हर्षद प्रजापत पुत्र नवरतन लाल कुम्हार को बेदखल कर दिया है। क्योंकि हर्षद प्रजापत मेरे अभिभाष्य के कहे अनुसार नहीं चलता है, इसलिए दिनांक 05.10.2024 से हर्षद प्रजापत से मेरे अभिभाष्य का कोई वास्ता व लेना देना नहीं रहा है, कोई भी दीगर व्यक्ति इससे रूपये पैसे का लेन देन व अन्य संव्यवहार करता है तो मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
जयपुर (दिनेश चन्द शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-5.10.2024 मो.नं. 9928956595

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री रमन गुप्ता पुत्र श्री मुरारीलाल, विष्णु सिंह राजपूत पुत्र श्री रामकिशन, निवासीगण-प्लैट नम्बर 204, द्वितीय मंजिल, बालाजी टॉवर, जगतपुरा, जयपुर के द्वारा प्लाट संख्या-ए-138, औद्योगिक क्षेत्र, कूकस, तहसील आमेर, जयपुर का दिनांक 06.10.2022 को क्रय किया था उक्त प्लाट पर मेरे अभिभाष्यगण काबिज है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस मे मेरे कार्यालय मे व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के दस्तावेज लेकर उपस्थित होकर सम्पर्क करें।
जयपुर (अवधेश कुमार शर्मा) एडवोकेट
दिनांक- मो. 9828884988

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यह कि एक प्लैट संख्या 30, इनकम टेक्स कॉलोनी प्रथम, रामनगरीया रोड, जगतपुरा, जयपुर में स्थित है, जिस पर मेरे पति कमलेश कुमार तिवारी ने एचडीएफसी लिमिटेड से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त प्लैट के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी लिमिटेड मे रहन (Mortgage) कर रखे है। यह कि मेरे पति कमलेश कुमार तिवारी का दिनांक 03.09.2016 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त प्लैट के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी लिमिटेड को मेरे द्वारा की जा चुकी है, इसलिये अब मैं उक्त प्लैट के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहती हूँ यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथि से सात दिवस तक की अवधि में एचडीएफसी लिमिटेड, जगतपुरा, जयपुर (फोन नम्बर) 09426792009 पर सम्पर्क करें। सूचित रहे।
दिनांक-7.10.2024 अंशु तिवारी पत्नी स्व. श्री कमलेश कुमार तिवारी

शिक्षकों की आवश्यकता:
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षण की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत
"विवेकानन्द आदर्श संस्कृत विद्यापीठ"
चौंप, तहसील- आमेर, जिला- जयपुर- 303805 में।
रिक्त पदों की संख्या: 02
(संस्कृत- 01) (आधुनिक- गणित- 01),
शैक्षिक योग्यता: राज्य सरकार/ यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित परंपरागत उपाधि धारक एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी को वरीयता
मानदेय: 20,000/- प्रतिमाह
नोट: अभ्यर्थी अपने जीवनवृत के साथ साधे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं पहचान पत्र पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर निम्न लिखित पते पर विद्यालय कार्य दिवसों में दिनांक 25.10.2024 सांय 5:00 बजे तक प्रेषित/ प्रस्तुत कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की सूचना विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को पृथक से दी जावेगी।
प्रबंधक: "विवेकानन्द आदर्श संस्कृत विद्यापीठ" चौंप, तहसील- आमेर, जिला- जयपुर- 303805
मोबाईल: 9214803366

शिक्षकों की आवश्यकता:
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षण की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत
"गोपीनाथ बाल भारती विद्यालय समिति"
चीथवाड़ी, तहसील- चौमूं, जिला- जयपुर, 303805 में।
रिक्त पदों की संख्या: 04
(संस्कृत- 02) (आधुनिक- अंग्रेजी- 01, गणित- 01)
शैक्षिक योग्यता: राज्य सरकार/ यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित परंपरागत उपाधि धारक एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी को वरीयता
मानदेय: 20,000/- प्रतिमाह
नोट: अभ्यर्थी अपने जीवनवृत के साथ साधे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं पहचान पत्र पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर निम्न लिखित पते पर विद्यालय कार्य दिवसों में दिनांक 25.10.2024 सांय 5:00 बजे तक प्रेषित/ प्रस्तुत कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की सूचना विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को पृथक से दी जावेगी।
प्रबंधक: "गोपीनाथ बाल भारती विद्यालय समिति", चीथवाड़ी, तहसील- चौमूं, जिला- जयपुर, 303805
मोबाईल: 9887519151

शिक्षकों की आवश्यकता:
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षण की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत
"आदर्श बाल विद्या मन्दिर शिक्षा समिति"
मानपुरा माचेड़ी, तहसील- आमेर, जिला- जयपुर- 303105 में।
रिक्त पदों की संख्या: 02 (संस्कृत- 02)
शैक्षिक योग्यता: राज्य सरकार/ यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित परंपरागत उपाधि धारक एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी को वरीयता
मानदेय: 20,000/- प्रतिमाह
नोट: अभ्यर्थी अपने जीवनवृत के साथ साधे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं पहचान पत्र पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर निम्न लिखित पते पर विद्यालय कार्य दिवसों में दिनांक 25.10.2024 सांय 5:00 बजे तक प्रेषित/ प्रस्तुत कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की सूचना विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को पृथक से दी जावेगी।
प्रबंधक: "आदर्श बाल विद्या मन्दिर शिक्षा समिति" मानपुरा माचेड़ी, तहसील- आमेर, जिला- जयपुर- 303105 मोबाईल: 9079109454

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 73/2024
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री नलिन शर्मा ने पंजीकृत प्रन्यास मंदिर श्री राधा गोविन्द जी उर्फ गोपाल जी 4548 सूरजपोल बाजार जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 12 जयपुर 1985 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत कार्यवाहक प्रन्यासी श्री मोहन लाल शर्मा का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके स्थान पर स्वयं का नाम बतौर कार्यवाहक प्रन्यासी प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.10.2024
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली निविदा सूचना (ई-निविदा द्वारा)
संख्या: 2024-28-REPAIROFBATTERYBOX दिनांक: 04.10.2024
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मुख्य कारखाना प्रबंधक, कैरिज कारखाना, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। 1. कार्य का नाम व स्थान : Strip, Repair & Fitting of AC/ NAC Battery Boxes and Strip, Repair & Fitting Door of SLR/LSRD/VPH/NMGHS B.G. Coaches in Carriage Workshop, NWR, Jodhpur. (24 Months) 2. कार्य की अनुमानित लागत : रु 11208034.12 (रु एक करोड़ बारह लाख आठ हजार चौंतीस रूपये और बारह पैसा मात्र) 3. बयाना राशि जो जमा करानी हैं : रु. 206100.00 (रू दो लाख छः हजार एक सौ रूपये मात्र) 4. ई – निविदा जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय तथा ई – निविदा खोलने की दिनांक व समय : दिनाक 28.10.2024 को 15:00 बजे तक तथा 28.10.2024 को 15:00 बजे के बाद 5. वेबसाइट विवरण जहां से ई-निविदा सम्बन्धित पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है : www.ireps.gov.in डब्लू.डब्लू.डब्लू.आईआरईपीएस.जीओवी.आईएन 6. कार्यालय का पता जहां से निविदा जारी की गयी : मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, कैरिज कारखाना, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर- 342001 राजस्थान
1157-CR/24
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 289/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी 192, कृष्णा नगर, गोलयावास, पत्रकार कॉलोनी रोड, मानसरोवर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास सनराईज बाल शिक्षा समिति कार्यालय पता-192, वार्ड-71 कृष्णा नगर, पत्रकार कॉलोनी रोड, मानसरोवर तहसील सांगानेर जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 05.12.2024
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-7/2024/डी-1587
दिनांक-27.09.2024
सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती हर्षा कुमारी सिंह पत्नी श्री रणशेर सिंह राठौड एवं श्री रणशेर सिंह राठौड पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह राठौड ने माधव नगर गृ.नि.स.स.लि. द्वारा जारी आवंटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान, पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर समिति की योजना राजेन्द्र नगर के भूखण्ड संख्या 139 का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। सोसायटी द्वारा जारी हस्तान्तरित आवंटन पत्र दिनांक 04.04.1990 को श्री एम.एम. सागर पुत्र श्री विद्या सागर के नाम जारी किया गया था।
अत उक्त दस्तावेजों के आधार पर माधव नगर गृ.नि.स.स.लि. की योजना राजेन्द्र नगर के भूखण्ड संख्या 139 का पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना जारी दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपने हक स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-07 जेडीए के कार्यालय में पेश कर सकते हैं।
यह सूचना आज दिनांक...को जारी की गई।
उपायुक्त जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

खोया पाया
ग्राम भोज्यवास स्थित भूखण्ड का ग्राम पंचायत भाँकरोटा द्वारा आवंटित पट्टा सं. 154 जिसका क्षेत्रफल 200.44 वर्गगज है, वास्तविक पट्टा, रसीद, नक्शा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चैकबुक गुम हो गए है, मिलने पर सूचित करें- किरन जांगिड पत्नि कैलाशचन्द जांगिड, निवासी-ग्राम भोज्यावास, पोस्ट भाँकरोटा, सिरसी रोड, जयपुर 302026 (मो.) 9327230830

जयपुर विकास प्राधिकर